पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–20] रुड़की, शनिवार, दिनांक 23 मार्च, 2019 ई0 (चैत्र 02, 1941 शक सम्वत्) [संख्या–12

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	169–185	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	539–551	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़–पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	35–42	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़–पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

लोक निर्माण अनुभाग–1

कार्यालय ज्ञाप

23 जनवरी, 2019 ई0

संख्या 152/III(1)/19–100(अधि0)/2009–लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड में मौलिक रूप से नियुक्त श्री मदन राम आर्य, सहायक अभियन्ता (सिविल) को नियमित चयनोपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अधिशासी अभियन्ता (सिविल), सातवें वेतनमान के वेतन मैट्रिक्स लेवल–11 के सादृश्य ₹ 15,600–39,100, ग्रेड वेतन ₹ 6,600/– के पद पर नियमित रूप से पदोन्नत करने की मा0 राज्यपाल महोदया, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. श्री मदन राम आर्य को अधिशासी अभियन्ता के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 01 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है।

3. उपरोक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री मदन राम आर्य की तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से विचार किया जायेगा।

आज्ञा से,
ओम प्रकाश,
अपर मुख्य सचिव।

उच्च शिक्षा अनुभाग–6

अधिसूचना

13 फरवरी, 2019 ई0

संख्या 142/XXIV(6)/2019–01(15)/2011–मा0 राज्यपाल महोदया, उत्तराखण्ड राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 (अधिनियम संख्या–11, वर्ष 2011) की धारा 3 की उपधारा (1) एवं उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 13 फरवरी, 2019 को उस तारीख के रूप में नियत करते है, जिसको उत्तराखण्ड राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का मुख्यालय रानीपोखरी, जिला देहरादून में स्थापित किया जाएगा।

आज्ञा से,
डॉ0 रणबीर सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

NOTIFICATION

February 13, 2019

No. 142/XXIV(6)/2019-01(15)/2011—In Exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (4) of Section 3 of the National Law University of Uttarakhand Act, 2011 (Act no. 11 of 2011), the Governor hereby appoints the date 13th February, 2019 as the date on which the head office of National Law University of Uttarakhand shall be established in Ranipokhari, District Dehradun.

By Order,
Dr. RANBIR SINGH,
Additional Chief Secretary.

कार्यालय ज्ञाप/प्रोन्नति

06 मार्च, 2019 ई0

संख्या 220/XXIV(6)/2019–01(16)/2018–मा0 राज्यपाल महोदया, उत्तराखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 2006 में दी गई व्यवस्थानुसार विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर श्री खेमराज भट्ट, सहायक कुलसचिव, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी (वेतनमान ₹ 35,400–1,12,400, लेवल–6) को उप कुलसचिव के पद (वेतनमान ₹ 56,100–1,77,500, लेवल–10) पर पदोन्नति किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2. श्री खेमराज भट्ट को पदोन्नति के पश्चात् एक वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

कार्यालय ज्ञाप/प्रोन्नति

06 मार्च, 2019 ई0

संख्या 221/XXIV(6)/2019–01(16)/2018–मा0 राज्यपाल महोदया, उत्तराखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 2006 में दी गई व्यवस्थानुसार विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर श्री विमल कुमार मिश्र, सहायक कुलसचिव, श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल (वेतनमान ₹ 35,400–1,12,400, लेवल–6) को उप कुलसचिव के पद (वेतनमान ₹ 56,100–1,77,500, लेवल–10) पर पदोन्नति किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2. श्री विमल कुमार मिश्र को पदोन्नति के पश्चात् एक वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

कार्यालय ज्ञाप/प्रोन्नति

06 मार्च, 2019 ई0

संख्या 222/XXIV(6)/2019–01(16)/2018–मा0 राज्यपाल महोदया, उत्तराखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 2006 में दी गई व्यवस्थानुसार विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर श्री दुर्गेश डिमरी, सहायक कुलसचिव, दून विश्वविद्यालय, देहरादून (वेतनमान ₹ 35,400–1,12,400, लेवल–6) को उप कुलसचिव के पद (वेतनमान ₹ 56,100–1,77,500, लेवल–10) पर पदोन्नति किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

2. श्री दुर्गेश डिमरी को पदोन्नति के पश्चात् एक वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

आज्ञा से,

डॉ0 रणबीर सिंह,

अपर मुख्य सचिव।

कार्यालय ज्ञाप

06 मार्च, 2019 ई0

संख्या 223/XXIV(6)/2019–01(16)/2018–उत्तराखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 2006 में दी गई व्यवस्थानुसार अग्रसारित पदोन्नत उप कुलसचिवों को उनके वर्तमान तैनाती स्थल से प्रस्तावित तैनाती स्थल पर तत्कालिक प्रभाव से तैनात किया जाता है:–

क्र0सं0	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थल	प्रस्तावित तैनाती स्थल
1.	श्री खेमराज भट्ट, उप कुलसचिव	उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी	कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल
2.	श्री विमल कुमार मिश्र, उप कुलसचिव	श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्याल, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल	उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी
3.	श्री दुर्गेश डिमरी, उप कुलसचिव	दून विश्वविद्यालय, देहरादून	कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

डॉ0 रणबीर सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

तकनीकी शिक्षा विभाग

विज्ञप्ति

25 फरवरी, 2019 ई0

संख्या 300/XLI–1/2019–100/2017—प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत श्रेणी 'क' के निम्नलिखित कार्मिक, उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को 60 वर्ष की अधिवर्षता की आयु पूर्ण करने के पश्चात् वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–2, भाग–2 से 4 के मूल नियम 56(क) के प्रावधानानुसार सेवानिवृत्त हो जायेंगे/हो चुके हैं:–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम/संस्था का नाम	सेवानिवृत्ति की तिथि
1.	श्री प्रकाश चन्द्र पाण्डेय	विभागाध्यक्ष, सिविल/रा0पा0 बांस (पिथौरागढ़)	31.05.2019
2.	श्रीमती अन्नपूर्णा नेगी	विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी/रा0पा0 कालाढूंगी (नैनीताल)	31.01.2019

ओम प्रकाश,
अपर मुख्य सचिव।

न्याय अनुभाग–3

अधिसूचना

नियुक्ति

24 जनवरी, 2019 ई0

संख्या 05/XXXVi(3)/2019–208/01–T.C.–I—कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (अधिनियम संख्या–66, सन् 1984) की धारा–4 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, मा0 राज्यपाल महोदया, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल की सहमति से, सुश्री गुंजन सिंह, सिविल जज (सीनियर डिवीजन), पौड़ी गढ़वाल को अपर न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रुड़की, जिला हरिद्वार के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,
डी0 पी0 गैरोला,
प्रमुख सचिव।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग

अधिसूचना

20 फरवरी, 2019 ई0

संख्या 145/VII–3–19/457–उद्योग/2002 टी0सी0 1–एतद्द्वारा उद्योग विभाग के अन्तर्गत सहायक निदेशक/प्रबन्धक, उद्योग के पद पर तैनात श्री विमल चौधरी, को "उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश उद्योग सेवा नियमावली, 1993) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002" के आलोक में उनसे आसन्न कनिष्ठ श्री नवीन चन्द पंत, के महाप्रबन्धक के पद पर पदोन्नति की तिथि 03.04.2017 से उप निदेशक/महाप्रबन्धक (वेतनमान ₹ 67,700–2,08,700, लेबल–11) के पद पर प्राकल्पिक पदोन्नति करने की मा0 राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उपरोक्तानुसार प्राकल्पिक रूप से पदोन्नत श्री विमल चौधरी, को वेतन संबंधी लाभ, उनकी वास्तविक पदोन्नति तिथि/उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ही देय होंगे परन्तु अन्य सेवा संबंधी लाभ हेतु समयावधि की गणना दिनांक 03.04.2017 से की जायेगी।

3. श्री विमल चौधरी, को पदोन्नति उपरान्त निर्धारित 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जाता है।

4. उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप पदोन्नत अधिकारी श्री विमल चौधरी, को महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तरकाशी में तत्काल प्रभाव से तैनात किया जाता है।

5. संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे नवीन तैनाती स्थल पर अविलम्ब कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

6. ये आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

अधिसूचना

20 फरवरी, 2019 ई0

संख्या 403/VII–3–19/182–उद्योग/2001–मा0 राज्यपाल महोदया, उत्तराखण्ड राज्य सूक्ष्म तथा लघु उद्यम सुकरीकरण परिषद् नियमावली, 2018 के नियम 5 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या /VII–II/182 उद्योग/2001, दिनांक 03 जून, 2011 के क्रम में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम सुकरीकरण परिषद् में सदस्यों के रिक्त पदों पर निम्न सदस्यों को नामित किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. श्री एच0 पी0 व्यास, उद्योग क्षेत्र के विशेषज्ञ– सदस्य
2. बैंकिंग विशेषज्ञ के रूप में संयोजक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति– सदस्य
3. श्री वीरेन्द्र कालरा, उद्योग संघों के प्रतिनिधि के रूप में– सदस्य

2. मा0 राज्यपाल महोदया, यह भी निर्देश देते है कि परिषद् के उपरोक्त सदस्यों की पदावधि 02 वर्ष की होगी और वे नियमावली के नियम–8 में उल्लिखित कृत्यों का निष्पादन और शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

आज्ञा से,

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव।

ग्राम्य विकास अनुभाग–3

नियुक्ति / विज्ञप्ति

25 फरवरी, 2019 ई0

संख्या 13 / XI(3) / 2019 / 53(86)2012 / Vol-1–उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा चयनित / संस्तुत निम्न अभ्यर्थी को प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी (कृषि अभियंत्रण एवं उत्पादन) के पद पर वेतनमान ₹15,600–39,100 ग्रेड वेतन ₹ 5,400 (सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतनमान ₹ 56,100–1,77,500 लेवल 10) के अनुसार कॉलम–4 में अंकित प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से नियुक्त करते हुए दो वर्ष के परिवीक्षाकाल पर तैनात करने की मा0 राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क्र0सं0	अभ्यर्थी का नाम	गृह जनपद	तैनाती का जनपद / संस्थान
1	2	3	4
1.	सुश्री गीता जोशी	नैनीताल	प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, पौड़ी

2. उक्त अभ्यर्थी की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अधीन प्रसारित सामान्य नियमों / नियमावलियों के अन्तर्गत निर्धारित की जायेगी।

3. नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान के अतिरिक्त शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते भी देय होंगे।

4. उक्त नियुक्ति अभ्यर्थी के पूर्ववृत्त, चरित्र प्रमाण–पत्र एवं स्थाई निवास के सत्यापन के सकारात्मक होने के प्रतिबन्ध के अधीन की जा रही है। पूर्ववृत्त, चरित्र प्रमाण–पत्र एवं स्थाई निवास के सत्यापन के सकारात्मक न होने पर सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी।

5. उक्त नवनियुक्त अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी के यहाँ निम्न प्रमाण–पत्रों के साथ योगदान सूचना प्रस्तुत की जायेगी :–

(1) अपनी चल–अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा पत्र।

(2) विवाहित होने की स्थिति में एक से अधिक जीवित पत्नी / पति होने का घोषणा पत्र।

(3) शैक्षिक योग्यता एवं चरित्र प्रमाण–पत्र।

(4) दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र।

6. उक्त नव नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने हेतु की गयी यात्रा के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

आज्ञा से,

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव।

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

कार्यालय–ज्ञाप

07 जुलाई, 2017 ई0

पत्रांक 795/07/निजीसचिव/डी0पी0सी0/अधि0/2016–17–उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग कार्यालय में प्रोन्नति हेतु गठित चयन समिति की संस्तुति के आधार पर श्री विपुल कुमार जैन, अपर निजी सचिव को उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग कार्यालय में निजी सचिव के रिक्त पद पर वेतनमान पे–बैण्ड–3 ₹ 15600–39100, ग्रेड पे ₹ 5400/(अपुनरीक्षित) में अस्थायी रूप से प्रस्तर–2 व 3 में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

2. उक्त प्रोन्नति के फलस्वरूप श्री विपुल कुमार जैन की तैनाती का आदेश पृथक से निर्गत किया जायेगा।

3. श्री विपुल कुमार जैन को निजी सचिव के पद पर नियमानुसार 01 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखा जाता है।

बंशीधर तिवारी,
सचिव।

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
चिकित्सा अनुभाग–4

अधिसूचना

13 फरवरी, 2019 ई0

संख्या 156/XXVIII-4-2019-16(रिट)/2018–मानसिक स्वास्थ्य देख–रेख अधिनियम–2017 की धारा–46 के अन्तर्गत राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण (State Mental Health Authority) उत्तराखण्ड का गठन निम्नवत् किये जाने की मा0 राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(i)	सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन	अध्यक्ष
(ii)	संयुक्त सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
(iii)	महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड	सदस्य
(iv)	संयुक्त सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
(v)	संयुक्त सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
(vi)	संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
(vii)	संयुक्त सचिव, विधि विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
(viii)	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, सेलाकुई, देहरादून	सदस्य
(ix)	एक प्रतिष्ठित मनोचिकित्सक (Eminent Psychiatrist) जो सरकारी सेवा में न हो	सदस्य

(x)	एक मानसिक स्वास्थ्य व्यवसायिक (Mental Health Professional), जिसके पास कम से कम 15 वर्ष का उक्त क्षेत्र में अनुभव हो	सदस्य
(xi)	एक मनोसामाजिक कार्यकर्ता (Psychiatrist Social Worker), जिसके पास कम से कम 15 वर्ष का उक्त क्षेत्र में अनुभव हो	सदस्य
(xii)	एक नैदानिक मनोवैज्ञानिक (Clinical Psychiatrist), जिसके पास कम से कम 15 वर्ष का उक्त क्षेत्र में अनुभव हो	सदस्य
(xiii)	एक मानसिक स्वास्थ्य नर्स (Mental Health Nurse), जिसके पास कम से कम 15 वर्ष का उक्त क्षेत्र में अनुभव हो	सदस्य
(xiv)	मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्ति अथवा उनके प्रतिनिधि (02 व्यक्ति)	सदस्य
(xv)	मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्तियों को परिचर्या प्रदाता का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति या परिचर्या प्रदाता के प्रतिनिधित्व संगठन के 02 व्यक्ति	सदस्य
(xvi)	मानसिक रोगी व्यक्तियों को सेवा प्रदान करने वाले गैर–सरकारी संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले 02 व्यक्ति	सदस्य

2. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष होंगे।

3. राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के कार्यों के सुचारू संचालन हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तरदायी होंगे। वे उक्त अधिनियम की धारा–53 में प्रदत्त कार्यों का निर्वहन करेंगे। महानिदेशक कार्यालय में प्राधिकरण के कार्यों के सम्पादन हेतु नियुक्त निदेशक द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन किया जायेगा।

4. गैर सरकारी सदस्यों का कार्यकाल उनके नामांकन की तिथि से 03 वर्ष का होगा।

5. प्राधिकरण के समस्त कार्य मानसिक स्वास्थ्य देख–रेख अधिनियम, 2017 के सुसंगत प्राविधानों के अनुरूप सम्पन्न किये जायेंगे।

6. इस सम्बन्ध में चिकित्सा अनुभाग–02 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–167/चि0–2/61 रिट (चि0)/2002 दिनांक 04 अप्रैल, 2002 एवं चिकित्सा अनुभाग–05 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1025/XXVIII-5-2009-141/2009 दिनांक 25 अगस्त, 2009 को कृपया तद्नुसार संशोधित समझा जाय।

आज्ञा से,

नितेश कुमार झा,

सचिव।

गृह अनुभाग–7

अधिसूचना

प्रकीर्ण

18 फरवरी, 2019 ई0

संख्या 181/XX-7/2019–01(63)2016–राज्यपाल, उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम, 2007 (अधिनियम संख्या 1, वर्ष 2008) की धारा 87 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी (नागरिक पुलिस, अधिसूचना एवं सशस्त्र पुलिस) सेवा नियमावली, 2018 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी (नागरिक पुलिस, अभिसूचना एवं सशस्त्र पुलिस)(संशोधन) सेवा नियमावली, 2019

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी (नागरिक पुलिस, अभिसूचना एवं सशस्त्र पुलिस)(संशोधन) सेवा नियमावली, 2019 है।

(2) यह उत्तराखण्ड राज्य में नियुक्त समस्त पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी (नागरिक पुलिस, अभिसूचना) एवं आरक्षी सशस्त्र पुलिस पर लागू होगी।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 24 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी (नागरिक पुलिस, अभिसूचना एवं सशस्त्र पुलिस) सेवा नियमावली 2018(जिसे यहाँ आगे मूल नियमावली कहा गया हैं) के नियम 24 के भाग (ग) को विलोपित कर दिया जायेगा।

परिशिष्ट–6 का संशोधन

3. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान **परिशिष्ट–6 प्रस्तर–1, प्रस्तर–5, प्रस्तर –8(4)के भाग (ग) एवं प्रस्तर–11** के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया परिशिष्ट रख दिया जायेगा, अर्थातः–

स्तम्भ–1 विद्यमान परिशिष्ट	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट
प्रस्तर–1 "आरक्षी नागरिक पुलिस /अभिसूचना एवं आरक्षी सशस्त्र पुलिस के कर्मी मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस /अभिसूचना प्रवेशार्थ प्रान्तीय योग्यता परीक्षा में सम्मिलित होगें एवं विकल्प के	**प्रस्तर–1** आरक्षी नागरिक पुलिस/अभिसूचना एवं आरक्षी सशस्त्र पुलिस के कर्मी मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस/अभिसूचना प्रवेशार्थ प्रान्तीय योग्यता परीक्षा में सम्मिलित होगें एवं कार्मिक द्वारा चुने गये संवर्ग विकल्प/पद की उपलब्धता के अनुसार प्रवीणता क्रम में, आवंटित संवर्ग में पदोन्नति अनुमन्य होगी।

आधार पर संवर्ग अनुमन्य किया जायेगा। सशस्त्र पुलिस के आरक्षी, जिन्होनें मुख्य आरक्षी सशस्त्र पुलिस पदोन्नति पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर लिया हो, इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं किये जायेगें।	सशस्त्र पुलिस के आरक्षी, जिन्होनें मुख्य आरक्षी सशस्त्र पुलिस पदोन्नति पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर लिया हो, इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं किये जायेगें।
प्रस्तर–5 " सेवाभिलेख विगत 05 वर्षों का संतोषजनक हो, अर्थात प्रतिकूल वार्षिक मंतव्य अंकित न हो, विगत 05 वर्षो में कभी सत्यनिष्ठा न रोकी गई हो।	**प्रस्तर–5** सेवाभिलेख विगत 05 वर्षों का संतोषजनक हो, अर्थात प्रतिकूल वार्षिक मंतव्य अंकित न हो, विगत 05 वर्षो में कभी सत्यनिष्ठा न रोकी गई हो, विगत 05 वर्षो में कोई दीर्घ दण्ड अथवा लघु दण्ड न मिला हो।
प्रस्तर–8(4)(ग) विगत 05 वर्षो से पूर्व के प्रत्येक छुद्र दण्ड पर 01 अंक की कटौती होगी।	**प्रस्तर–8(4)(ग)** विलोपित
प्रस्तर–11 निर्धारित आधारभूत प्रशिक्षण एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने वाले कर्मियों को मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस एवं अभिसूचना के पद पर पदोन्नति प्रदान किये जाने विषयक आदेश नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्गत किये जायेंगे। अभिसूचना विभाग से चयनित कार्मिकों को मुख्य आरक्षी अभिसूचना के पद पर पदोन्नति प्रदान की जायेगी।	**प्रस्तर–11** निर्धारित आधारभूत प्रशिक्षण एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने वाले कर्मियों को मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस एवं अभिसूचना के पद पर पदोन्नति प्रदान किये जाने विषयक आदेश नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

परिशिष्ट–7 का संशोधन

4. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान **परिशिष्ट–7 के प्रस्तर 5 एवं 9 के भाग (ग)** के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया परिशिष्ट रख दिया जायेगा, अर्थातः–

स्तम्भ–1 **विद्यमान परिशिष्ट**	**स्तम्भ–2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट**
प्रस्तर–5 " सेवाभिलेख विगत 05 वर्षों का संतोषजनक हो, अर्थात प्रतिकूल वार्षिक मंतव्य अंकित न हो, विगत 05 वर्षों में कभी सत्यनिष्ठा न रोकी गई हो।	**प्रस्तर–5** सेवाभिलेख विगत 05 वर्षो का संतोषजनक हो, अर्थात प्रतिकूल वार्षिक मंतव्य अंकित न हो, विगत 05 वर्षो में कभी सत्यनिष्ठा न रोकी गई हो, विगत 05 वर्षो में कोई दीर्घ दण्ड अथवा लघु दण्ड न मिला हो।
प्रस्तर–9(ग) विगत 05 वर्षों से पूर्व के प्रत्येक छुद्र दण्ड पर 01 अंक की कटौती होगी।	**प्रस्तर–9(ग)** विलोपित

परिशिष्ट–8 का संशोधन

5. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान **परिशिष्ट–8 के प्रस्तर–3** के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया परिशिष्ट रख दिया जायेगा, अर्थातः–

स्तम्भ–1 विद्यमान परिशिष्ट	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट
प्रस्तर–3 " सेवाभिलेख विगत 05 वर्षो का संतोषजनक हो, अर्थात प्रतिकूल वार्षिक मंतव्य अंकित न हो, विगत 05 वर्षो में कभी सत्यनिष्ठा न रोकी गई हो।	**प्रस्तर–3** सेवाभिलेख विगत 05 वर्षो का संतोषजनक हो, अर्थात प्रतिकूल वार्षिक मंतव्य अंकित न हो, विगत 05 वर्षो में कभी सत्यनिष्ठा न रोकी गई हो, विगत 05 वर्षो में कोई दीर्घ दण्ड अथवा लघु दण्ड न मिला हो।

आज्ञा से,

नितेश कुमार झा,

सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of **'the Constitution of India'**, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification **No. 181/XX-7-2019-01(63)2016,** Dehradun, dated February 18, 2019 for general information:

No. 181/XX-7-2019-01(63)2016

Dated Dehradun, February 18, 2019

NOTIFICATION

Miscellaneous

In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of Section 87 of the Uttarakhand Police Act, 2007 (Act no. 1 of 2008) , the Governor is pleased to allow to make the following Rules with a view to amend The Uttarakhand Police Constable and Head Constable (Civil Police, Intelligence and Armed Police) Service Rules, 2018:

THE UTTARAKHAND POLICE CONSTABLE AND HEAD CONSTABLE (CIVIL POLICE, INTELLIGENCE AND ARMED POLICE) (AMENDMENT) SERVICE RULES, 2019

Short title extent and commencement

1. **(1)** These rules may be called the Uttarakhand Police Constable and Head Constable (Civil Police, Intelligence and Armed Police) (Amendment) Service Rules, 2019.

(2) It shall apply to all Constable and Head Constable (Civil Police, Intelligence and Armed Police) appointed in the state of Uttarakhand .

(3) It shall come into force at once.

Amendment of Rule 24

2. In the Uttarakhand Police Constable and Head Constable (Civil Police, Intelligence and Armed Police) Service Rules, 2018 (herein after referred to as the principal rules) the clause(c) of rule 24 shall be omitted.

Amendment of Annexure-6

3. In the principal rules in the Annexure -6, para-1, para-5, para-8(4)(c) & para-11 as set out in column-1 below the Annexure as set out in column-2 shall be substituted as follows, namely-

Column–1 **Existing Annexure**	**Column–2** **Annexure hereby substituted**
Para-1 In the provincial eligibility examination for the post of Head Constable civil police/Intelligence Unit, the constable/Civi Police/ constable Intelligence Unit and constable Armed Police, shall appear and cadre shall be permissible on the basis of option. The head constables or the constables of the Armed Police who have passed test for head constable Armed Police promotion test shall not be allowed to appear in this examination.	**Para-1** The employee of Constable Civil Police/Intelligence and Constable Armed Police shall appear in the provincial eligibility examination for admission in Head Constable Civil Police/Intelligence and promotion to allotted cadre shall be permissiable in the cadre/post chosen by personnel according to the availability, in efficiency order. The constables of the Armed Police who have passed the promotional course of head constable Armed Police shall not be allowed to appear in this examination.
Para-5 The service records for the last 05 years must be satisfactory and no adverse entry have been made, in the last 05 years integrity must not have been withheld,	**Para-5** The service records for the last 05 years must be satisfactory and no adverse entry have been made, in the last 05 years integrity must not ever been withheld, in the last 05 years no major or minor punishment has been awarded.
Para 8(4)(c) For every Petty offence before the last 5 years - 01 marks shall be deducted for every entry.	**Para 8(4)(c)** Omitted

Para-11 After completion of basic training and practical training successfully, orders shall be issued for their promotion by the Appointing Authority to the post of Head Constable Civil Police and Intelligence. The candidates selected from Intelligence department shall be appointed to the post of Head Constable Intelligence.	**Para-11** After completion of prescribed basic training and practical training successfully, orders shall be issued for their promotion by the Appointing Authority to the post of Head Constable Civil Police and Intelligence.

Amendment of Annexure -7

4. In the principal Rules in the Annexure -7, para-5 and para-9(C) as set out in column-1 below the Annexure as set out in column-2 shall be substituted as follows, namely-

Column–1 Existing Annexure	Column–2 Annexure hereby substituted
Para-5 The service records for the last 05 years must be satisfactory e.g. no adverse entry have been made, in the last 05 years integrity must not have been withheld,	**Para-5** The service records for the last 05 years must be satisfactory and no adverse entry have been made, in the last 05 years integrity must not ever been withheld, in the last 05 years no major or minor punishment has been awarded.
Para-9(c) For every Petty offence before the last 5 years - 01 marks shall be deducted for every entry.	**Para 9(c)** Omitted

Amendment of Annexure -8

5. In the principal rules in the Annexure -8, para-3 as set out in column-1 below the Annexure as set out in column-2 shall be substituted as follows, namely-

Para-3 The service records for the last 05 years must be satisfactory and no adverse entry have been made, in the last 05 years integrity must not have been withheld,	**Para-3** The service records for the last 05 years must be satisfactory and no adverse entry have been made, in the last 05 years integrity must not ever been withheld, in the last 05 years no major or minor punishment has been awarded.

By Order,

NITESH KUMAR JHA,

Secretary.

आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग

नियुक्ति–आदेश

25 फरवरी, 2019 ई0

संख्या 184/XXXX/2019–53/2011(1)–आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के नियंत्रणाधीन आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें के अन्तर्गत राज्य आयुर्वेदिक औषधि परीक्षण प्रयोगशाला ऋषिकुल हरिद्वार, में वैज्ञानिक अधिकारी (आई0एस0एम0) के सीधी भर्ती के पद पर मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 118/2018 डा0 राजीव कुमार कुरेले बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित अन्तिम निर्णय दिनांक 19 सितम्बर, 2018 के अनुपालन में लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड हरिद्वार द्वारा पूर्व में प्रेषित चयन संस्तुति दिनांक 03 मई, 2012 को निरस्त करते हुए श्रेष्ठता क्रम में डा0 मनोज कुमार दाश के बाद आने वाले अभ्यर्थी डा0 राजीव कुमार कुरेले की नियुक्ति हेतु की गई संस्तुति दिनांक 14 नवम्बर, 2018 के आधार पर डा0 राजीव कुमार कुरेले को वेतन मैट्रिक्स ₹ 53100–167800 (लेवल–9) (पूर्व वेतनमान ₹ 15600–39100 ग्रेड वेतन ₹ 5400), में वैज्ञानिक अधिकारी (आई0एस0एम0) के पद पर निम्नांकित शर्तो के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किये जाने की मा0 राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. सम्बन्धित अभ्यर्थी अपनी योगदान आख्या निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें निदेशालय, उत्तराखण्ड, डांडा लखौण्ड में प्रस्तुत करेंगे। निदेशक द्वारा सम्बन्धित वैज्ञानिक अधिकारी (आई0एस0एम0) के वांछित प्रपत्र/प्रमाण–पत्रों का सत्यापन कराये जाने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार की जायेगी।
2. चयनित वैज्ञानिक अधिकारी (आई0एस0एम0) का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन पृथक से कराया गया है। यदि सम्बन्धित वैज्ञानिक अधिकारी (आई0एस0एम0) का चरित्र एवं पूर्ववृत्त परिवीक्षा अवधि में नियुक्ति हेतु उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो उनकी यह नियुक्ति तात्कालिक प्रभाव से निरस्त समझी जायेगी।
3. अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण राज्य मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा और उक्त बोर्ड द्वारा स्वस्थ्य घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण की अनुमति प्रदान की जायेगी। अभ्यर्थी अपने नियुक्ति पत्र सहित महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण हेतु उपस्थित होंगे। महानिदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा अभ्यर्थी का स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र सम्बन्धित अधिकारी को उपलब्ध करा दिया जायेगा, किन्तु मेडिकल बोर्ड द्वारा अस्थाई रूप से अयोग्य घोषित किये जाने पर प्रकरण अग्रेत्तर स्वास्थ्य परीक्षण हेतु शासन को संदर्भित किया जायेगा। शासन द्वारा स्टेट मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराते हुए यथोचित निर्णय लिया जायेगा।
4. नियुक्त वैज्ञानिक अधिकारी (आई0एस0एम0) को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय–समय पर जारी शासनादेश के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे।
5. नवनियुक्त अभ्यर्थी दिनांक 15 मार्च, 2019 तक अपने पद का कार्यभार अवश्य ग्रहण कर लें। इस अवधि के भीतर वे अपने तैनाती से सम्बन्धित प्रस्तर (7) में अंकित सभी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि वे इस अवधि के भीतर अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं तो उनका अभ्यर्थन स्वतः समाप्त माना जायेगा।
6. नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
7. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व निम्न प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने होंगे :–
   I. अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डिल न किये जाने के सम्बन्ध में एक घोषणा–पत्र (संलग्न प्रारूप में)

II. भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड द्वारा निर्गत स्थायी पंजीकरण की दो प्रतियाँ

III. ओथ एलीजियन्स (निष्ठा/राजभक्ति) का प्रमाण–पत्र (प्रारूप संलग्न)

IV. गोपनीयता का प्रमाण–पत्र

V. चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण–पत्र

VI. लिखित रूप में एक अन्डरटेकिंग कि यदि चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन के पश्चात उन्हें सरकारी सेवा के लिये उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो उनकी यह नियुक्ति निरस्त समझी जायेगी, जिसके लिये वे किसी क्षतिपूर्ति के हकदार नहीं होंगे।

VII. एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण–पत्र

VIII. मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त स्वस्थ्य प्रमाण–पत्र

8. पद पर मौलिक रूप से नियुक्त वैज्ञानिक अधिकारी (आई0एस0एम0) को संगत नियमावली में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत 02 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

9. निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें द्वारा अभ्यर्थी को योगदान आख्या स्वीकार करने से पूर्व यह देख लिया जाए कि अभ्यर्थी भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड से पंजीकृत है तथा उनके चिकित्सा परिषद् में पंजीकरण का प्रमाण–पत्र औपबन्धिक अभ्यर्थी के सम्बन्ध में उनके प्रमाण–पत्र एवं शैक्षिक योग्यता के प्रमाण–पत्र का मूलरूप से जांच कर, इन प्रमाण–पत्रों की दो–दो प्रतियां स्वयं प्रमाणित कर उत्तराखण्ड शासन एवं औपबन्धन की स्थिति में लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड हरिद्वार को उपलब्ध कराये जायेंगे।

आज्ञा से,

आर0के0 सुधांशु,
सचिव।

सिंचाई अनुभाग–1

कार्यालय आदेश

28 फरवरी, 2019 ई0

संख्या 377/II(1)–2019–01(48)/2018–एतद्द्वारा सिंचाई विभाग के अन्तर्गत रिक्त अधिशासी अभियन्ता (सिविल) के पदों के सापेक्ष निम्नलिखित सहायक अभियन्ताओं को कार्यहित में अग्रिम आदेशों तक प्रभारी अधिशासी अभियन्ता (सिविल) के रूप में उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम–03 में अंकित वर्तमान तैनाती स्थल से कॉलम–04 में अंकित नवीन तैनाती स्थल पर तैनात किया जाता है:–

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	वर्तमान में सहायक अभियन्ता के रूप में कार्यरत खण्ड का नाम	प्रभारी अधिशासी अभियन्ता पद हेतु नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
	सर्वश्री			
1	2	3	4	5
1.	चन्द किशोर	PMGSY, देहरादून	PMGSY, सिंचाई खण्ड, लोहाघाट	रिक्त पद पर
2.	हिमांशु कुमार	प्रमुख अभियन्ता, कार्यालय, देहरादून	सिंचाई खण्ड, पुरोला	रिक्त पद पर
3.	विनोद प्रसाद डंगवाल	परियोजना खण्ड, ऋषिकेश	परिकल्प खण्ड, रुड़की	रिक्त पद पर

1	2	3	4	5
4.	कृष्णा सिंह चौहान	प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, देहरादून	उत्तराखण्ड जल संसाधन, संसाधन, प्रबन्धन एवं नियामक आयोग, देहरादून	जल आयोग के कार्यों हेतु पदस्थापित एवं वेतन का आहरण प्रमुख अभियन्ता कार्या0 से ही किया जायेगा
5.	रामेश्वर प्रसाद चमोली	अवस्थापना (पुनर्वास) खण्ड, ऋषिकेश	PMGSY, पुरोला	रिक्त पद पर
6.	सुधीर चन्द्र पंत	अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड, देहरादून	PMGSY, सिंचाई खण्ड, अल्मोड़ा	रिक्त पद पर
7.	चण्डी प्रसाद भट्ट	सिंचाई खण्ड, दुगड्डा	सिंचाई खण्ड,रानीखेत	रिक्त पद पर

2. उपरोक्त अधिकारियों की उपरोक्तानुसार तैनाती हो जाने के फलस्वरूप सम्बन्धित का वेतन पूर्व की भाँति ही आहरित किया जायेगा तथा उक्त हेतु कोई अतिरिक्त वेतन/भत्ते देय नहीं होंगे।

3. उक्त आदेश नितान्त अस्थाई व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे हैं तथा उक्त पद पर नियमित चयन/पदोन्नति होने के उपरान्त स्वतः ही निष्प्रभावी माने जायेंगे।

4. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

प्रोन्नति/पदस्थापना

01 मार्च, 2019 ई0

संख्या 240/II–2019–01(29)(18)/2011–15–सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत डिप्लोमाधारी कनिष्ठ अभियन्ताओं से सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर चयन वर्ष 2018–19 के सापेक्ष नियमित चयन द्वारा प्रोन्नति के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्रांक 518/43/ई–1/डी0पी0सी0/2018–19, दिनांक 01.02.2019 द्वारा चयनोपरान्त की गई संस्तुति के क्रम में निम्नलिखित डिप्लोमाधारी कनिष्ठ अभियन्ताओं को सहायक अभियनता (सिविल), वेतनमान मैट्रिक्स लेवल 10 (₹ 56,100–1,77,500) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत किए जाने की मा0 राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0 सं0	नवप्रोन्नत सहायक अभियन्ताओं का नाम	वर्तमान कार्यालय का नाम
1.	श्री पुष्पेन्द्र कुमार	सिंचाई खण्ड, लोहाघाट
2.	श्री देवदत्त कुमार	अवस्थापना पुनर्वास खण्ड, नई टिहरी
3.	श्री सुरेन्द्र मोहन	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, जखोली
4.	श्री सुरेश पाल	पी0एम0जी0एस0वाई सिंचाई खण्ड, जखोली
5.	श्री विजय सिंह	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, कोटद्वार

2. उक्त पदोन्नत कार्मिक शासनादेश संख्या–1528, दिनांक 28.09.2018 एवं शासनादेश संख्या–2053, दिनांक 26.11.2018 के द्वारा प्रभारी सहायक अभियन्ता के रूप में दी गई तैनाती के स्थान पर ही कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।

3. उक्त पदोन्नत कार्मिकों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

4. उक्त पदोन्नति मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में रिट याचिका संख्या–151/एस0एस0/2010, मनीष सेमवाल बनाम राज्य, मा0 सर्वोच्च न्यायालय में एस0एल0पी0 संख्या–864–847/2012, अजय भट्ट बनाम राज्य, रिट याचिका संख्या–265/एस0बी0/2018, विनोद कुमार बनाम राज्य तथा रिट याचिका संख्या–1782/एस0एस0/2012, अवनीश भट्नागर व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होंगे।

आज्ञा से,

डा0 भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव।

ऊर्जा अनुभाग–01

नियुक्ति आदेश

01 मार्च, 2019 ई0

संख्या 326/I/2019–02/06/2018–मा0 राज्यपाल, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा–82 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, चयन समिति की संस्तुति पर श्री डी0 पी0 गैरोला, प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधायी, उत्तराखण्ड शासन को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 05 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, की अवधि के लिए उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग में सदस्य (विधि) के पद पर सहर्ष नियुक्ति प्रदान करते हैं।

श्री डी0 पी0 गैरोला, प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधायी, उत्तराखण्ड शासन द्वारा वर्तमान पद से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति अथवा त्याग–पत्र दिए जाने के उपरान्त ही उक्त पद का कार्यभार ग्रहण किया जायेगा।

नियुक्ति आदेश

05 मार्च, 2019 ई0

संख्या 328/I/2019–02/(3)/20/2003–मा0 राज्यपाल, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा–82 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, चयन समिति की संस्तुति पर श्री मनोज कुमार जैन, सेवानिवृत्त निदेशक (परियोजना), उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लि0, देहरादून को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 05 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, की अवधि के लिए उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग में सदस्य (तकनीकी) के पद पर सहर्ष नियुक्ति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

राधिका झा,
सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 12 हिन्दी गजट/125–भाग 1–2019 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 23 मार्च, 2019 ई0 (चैत्र 02, 1941 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

February 21, 2019

No. 74/XIV-a/33/Admin.A/2013--Ms. Nazish Kaleem, Civil Judge (Sr. Div.), Champawat is hereby sanctioned earned leave for 10 days *w.e.f.* 30.01.2019 to 08.02.2019 with permission to suffix 09.02.2019 & 10.02.2019 as holidays.

By Order of Hon'ble the Vacation Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

February 21, 2019

No. 75/XIV-a/29/Admin.A/2012--Ms. Vibha Yadav, the then 5th Additional Chief Judicial Magistrate, Dehradun, presently posted as 3rd Additional Chief Judicial Magistrate, Dehradun is hereby sanctioned Child care leave for 150 days *w.e.f.* 17.09.2018 to 14.02.2019 with permission to prefix 16.09.2018 as Sunday holiday, in terms of Office Memorandum No. 11/XXVII(7)34/2011 dated 30.05.2011 issued by Government of Uttarakhand.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

February 21, 2019

No. 76/XIV-a/7/Admin.A/2018--Sri Manoj Singh Rana, Civil Judge (Jr. Div.), Kirtinagar, District Tehri Garhwal (presently trainee at UJALA) is hereby sanctioned paternity leave for 15 days *w.e.f.* 30.01.2019 to 13.02.2019 , in terms of G.O. No. 819/XXXVII(7)34/2010-11, dated 31.12.2013.

By Order of Hon'ble the Vacation Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

February 22, 2019

No. 77 UHC/XVII-a-11/Admin.A/2016–In exercise of the powers conferred under sub-section (2) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Uttarakhand hereby specially empowers all the Judicial Magistrates, 1st Class under sub-section (1) of Section 32 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 to try the offences punishable under the said Act.

By Order of the Court,

Sd/-

PRADEEP PANT,

Registrar General.

NOTIFICATION

February 26, 2019

No. 79/XIV-a/22/Admin.A/2010–Sri Yogesh Kumar Gupta, Judge, Family Court, Hardwar is hereby sanctioned Medical leave for 09 days *w.e.f.* 05.01.2019 to 13.01.2019.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

February 26, 2019

No. 80/XIV-a/36/Admin.A/2013--Sri Imran Mohammad Khan, Additional Chief Judicial Magistrate, Nainital is hereby sanctioned earned leave for 10 days *w,e,f,* 11.02.2019 to 20.02.2019 with permission to prefix 09.02.2019 & 10.02.2019 as holidays.

NOTIFICATION

March 05, 2019

No. 81/XIV-a/41/Admin.A/2015--Sri Abhay Singh, Civil Judge (Jr. Div.), Nainital is hereby sanctioned earned leave for 10 days *w.e.f.* 14.02.2019 to 23.02.2019 with permission to suffix 24.02.2019 as Sunday holiday.

By Order of Hon'ble the Vacation Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

March 05, 2019

No. 82/XIV-a/38/Admin.A/2016--Ms. Krishtika Gunjiyal, 2nd Additional Civil Judge (Jr. Div.), Roorkee, District Hardwar is hereby sanctioned child care leave for 82 days *w.e.f.* 01.12.2018 to 20.02.2019 , in terms of Office Memorandum No. 11/XXVII(7)34/2011 dated 30.05.2011 issued by Government of Uttarakhand.

NOTIFICATION

March 05, 2019

No. 83/XIV/56/Admin.A/2003--Sri Dhananjay Chaturvedi, District & Sessions Judge, Bageshwar is hereby sanctioned earned leave for 15 days *w.e.f.* 02.02.2019 to 16.02.2019 with permission to suffix 17.02.2019 as Sunday holiday.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

March 06, 2019

No. 84/XIV-a/38/Admin.A/2015--Sri Ravindra Dev Mishra, Civil Judge (Jr. Div.), Hardwar is hereby sanctioned earned leave for 17 days *w.e.f.* 07.02.2019 to 23.02.2019 with permission to suffix 24.02.2019 as Sunday holiday.

By Order of Hon'ble the Vacation Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

March 06, 2019

No. 85/XIV-a/36/Admin.A/2017--Ms. Shikha Bhandari, Judicial Magistrate-III, Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 25 days *w.e.f.* 30.01.2019 to 23.02.2019 with permission to suffix 24.02.2019 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

March 06, 2019

No. 86/XIV-a/42/Admin.A/2017--Sri Shambhu Nath Singh Sethwal, Judicial Magistrate-II, Hardwar is hereby sanctioned earned leave for 25 days *w.e.f.* 30.01.2019 to 23.02.2019 with permission to suffix 24.02.2019 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

March 06, 2019

No. 87/XIV-a/38/Admin.A/2013--Ms. Durga, Civil Judge (Jr. Div.), Uttarkashi is hereby sanctioned medical leave for 15 days *w.e.f.* 15.01.2019 to 29.01.2019 .

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

कार्यालय पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, उत्तराखण्ड देहरादून

कार्यभार प्रमाण–पत्र

08 जनवरी, 2019 ई0

पत्रांक 07–09/श्रम न्या0/कार्यभार/व्य0प0/2019–प्रमाणित किया जाता है माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय नैनीताल की अधिसूचना संख्या 10/UHC/Admin.A/2019, दिनांक 05–01–2019 के अनुपालन में मेरा स्थानान्तरण जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तरकाशी के पद पर होने के फलस्वरूप मेरे द्वारा पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के पद का कार्यभार आज दिनांक 08–01–2019 की पूर्वान्ह में छोड़ दिया गया है।

सिकन्द कुमार त्यागी,
एच0जे0एस0,
पीठासीन अधिकारी,
श्रम न्यायालय, देहरादून।

प्रतिहस्ताक्षर
ह0 (अस्पष्ट)
महानिबन्धक,
माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल।

निदेशालय विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड

प्रभार प्रमाण–पत्र

31 जनवरी, 2019 ई0

संख्या 895/नि0वि0ले0/अधि0–1(6)/का0भा0/2015–प्रमाणित किया जाता है कि उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग–6 के कार्यालय आदेश संख्या 19/XXVII(6)/958/छः/2012/2019 दिनांक 30 जनवरी, 2019 के अनुपालन में निदेशक, विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड, देहरादून के पद का कार्यभार जैसा कि यहाँ व्यक्त किया गया है, आज दिनांक 31–01–2019 के अपराह्न में हस्तान्तरित किया गया।

भूपेश चन्द्र तिवारी,
अपर निदेशक,
मोचक अधिकारी।

भागीरथी बनग्याल,
निदेशक,
मुक्त अधिकारी।

प्रतिहस्ताक्षरित
ह0 (अस्पष्ट)
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

प्रभार प्रमाण–पत्र

25 फरवरी, 2019 ई0

संख्या 975/नि0वि0ले0/अधि0–1(6)/का0भा0/2015–प्रमाणित किया जाता है कि उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग–6 के कार्यालय आदेश संख्या 23/XXVII(6)/958/नौ/2012/2019 दिनांक 21 फरवरी, 2019 के अनुपालन में निदेशक, विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड, देहरादून के पद का कार्यभार जैसा कि यहाँ व्यक्त किया गया है, आज दिनांक 25–02–2019 के पूर्वाह्न में ग्रहण किया।

X
मुक्त अधिकारी।

पंकज तिवारी,
निदेशक,
मोचक अधिकारी।

प्रतिहस्ताक्षरित
ह0 (अस्पष्ट)
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

प्रभार प्रमाण–पत्र

25 फरवरी, 2019 ई0

संख्या 976/नि0वि0ले0/अधि0–1(6)/का0भा0/2015–प्रमाणित किया जाता है कि उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग–6 के कार्यालय आदेश संख्या 23/XXVII(6)/958/नौ/2012/2019 दिनांक 21 फरवरी, 2019 के अनुपालन में अपर निदेशक, विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड, देहरादून के पद का कार्यभार जैसा कि यहाँ व्यक्त किया गया है, आज दिनांक 25–02–2019 के पूर्वाह्न/अपराह्न में ग्रहण किया।

X
मुक्त अधिकारी।

प्रतिमा पैन्यूली,
अपर निदेशक,
मोचक अधिकारी।

प्रतिहस्ताक्षरित
पंकज तिवारी,
निदेशक।

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, अल्मोड़ा

प्रभार प्रमाण–पत्र

22 जनवरी, 2019 ई0

पत्रांक 155/एस0पी0ए0/व्य0पं0/मु0वि0अ0–उत्तराखण्ड शासन कार्मिक एवं सर्तकता अनुभाग–1 के आदेश संख्या 56/XXX–1–2019, दिनांक 16 जनवरी, 2019 के अनुपालन में जैसा कि यहाँ व्यक्त किया गया है, मुख्य विकास अधिकारी, अल्मोड़ा के पद का पदभार आज दिनांक के पूवान्ह/अपरान्ह में हस्तान्तरित किया गया।

मयूर दीक्षित,
मुख्य विकास अधिकारी,
अल्मोड़ा।

मुक्त अधिकारी।

मनुज गोयल,
मुख्य विकास अधिकारी,
अल्मोड़ा।

मोचक अधिकारी।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रशासन, ऊधमसिंह नगर

कार्यालय आदेश

13 फरवरी, 2019 ई0

पत्रांक 211/टी0आर0/पंजी0नि0/UK06TA-1891/2019–वाहन संख्या UK06TA-1891 (AUTO RICKSHAW), मॉडल 2011, चेसिस संख्या MD2ALBBZZUWF09225 तथा इंजन नं0 BBMBUF12343, कार्यालय में श्री चन्द्रशेखर भटट पुत्र श्री मनोरथ भटट, निवासी ग्राम नगलातराई, लोहियाहैड, खटीमा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने आवेदन–पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन पुराना होने के कारण पूरी तरह नष्ट हो गया है, जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है। वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। सम्भागीय निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार वाहन मार्ग में चलने योग्य नहीं है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.03.2019 तक जमा है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, पूजा नयाल, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UK06TA-1891 (AUTO RICKSHAW) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या MD2ALBBZZUWF09225 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

कार्यालय आदेश

13 फरवरी, 2019 ई0

पत्रांक 222/टी0आर0/पंजी0नि0/UP02B-5115/2019–वाहन संख्या UP02B-5115 (TRUCK), मॉडल 1995, चेसिस संख्या 357010MVQ834512 तथा इंजन नं0 497SP21MVQ783873, कार्यालय में श्री योगेश पाण्डे पुत्र श्री रंग नाथ पाण्डे, निवासी मार्फत श्री अनिल नाथ तिवारी, आदर्श कॉलौनी, रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने आवेदन–पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन पुराना होने के कारण पूरी तरह नष्ट हो गया है, जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है। वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। सम्भागीय निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार वाहन मार्ग में चलने योग्य नहीं है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.03.2019 तक जमा है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, पूजा नयाल, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UP02B-5115 (TRUCK) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 357010MVQ834512 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

कार्यालय आदेश

26 फरवरी, 2019 ई0

पत्रांक 231/टी0आर0/पंजी0नि0/UK06X-5837/2019–वाहन संख्या UK06X-5837 (LMV CAR), मॉडल 2012, चेसिस संख्या MAT612226CKC23726 तथा इंजन नं0 273MPFI07CXYK23401, कार्यालय में श्री प्रसाद मंत्री पुत्र श्री पुरूषोत्तम मंत्री, निवासी प्लॉट नं0 31, सेक्टर–11, आईआईई, सिडकुल, टाटा वैन्डर पार्क, पंतनगर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने आवेदन–पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण पूरी तरह नष्ट हो गया है, जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है। वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। सम्भागीय निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार वाहन मार्ग में चलने योग्य नहीं है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर एक बारीय जमा है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, पूजा नयाल, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UK06X-5837 (LMV CAR) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या MAT612226CKC23726 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

कार्यालय आदेश

27 फरवरी, 2019 ई0

पत्रांक 243/टी0आर0/पंजी0नि0/UA03-0261/2019–वाहन संख्या UA03-0261 (TRUCK), मॉडल 2001, चेसिस संख्या 18EC10471566 तथा इंजन नं0 E483A10465577, कार्यालय में श्रीमती जायरा बी पत्नी श्री मोबिन खान, निवासी म0नं0–219, ग्राम नकहा, सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने आवेदन–पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन भौतिक व तकनीकी रूप से खराब होने के कारण पूरी तरह नष्ट हो गया है, जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है। वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। सम्भागीय निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार वाहन मार्ग में चलने योग्य नहीं है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.03.2019 तक जमा है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, पूजा नयाल, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UA03-0261 (TRUCK) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 18EC10471566 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

कार्यालय आदेश

27 फरवरी, 2019 ई0

पत्रांक 244/टी0आर0/पंजी0नि0/UK06CB-1260/2019–वाहन संख्या UK06CB-1260 (TRAILER), मॉडल 2017, चेसिस संख्या UK04170122306 तथा इंजन नं0 22306, कार्यालय में श्री रामचन्द्र पुत्र श्री ब्रज लाल, निवासी म0नं0–143, थारू, तिसौर सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने आवेदन–पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन भौतिक रूप से खराब होने के कारण पूरी तरह नष्ट हो गया है, जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है। वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। सम्भागीय निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार वाहन मार्ग में चलने योग्य नहीं है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 28.02.2019 तक जमा है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, पूजा नयाल, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UK06CB-1260 (TRAILER) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या UK04170122306 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

कार्यालय आदेश

28 फरवरी, 2019 ई0

पत्रांक 250/टी0आर0/पंजी0नि0/UA12-4278/2019–वाहन संख्या UA12-4278 (BUS), मॉडल 1999, चेसिस संख्या 373011BQQ704443 तथा इंजन नं0 697D22BQQ716595, कार्यालय में श्री राजेश कुमार पुत्र श्री गणेश सिंह, निवासी म0नं0–488, टैगोर नगर, सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने आवेदन–पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन भौतिक व तकनीकी रूप से खराब होने के कारण पूरी तरह नष्ट हो गया है, जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है। वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। सम्भागीय निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार वाहन मार्ग में चलने योग्य नहीं है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 28.02.2019 तक जमा है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, पूजा नयाल, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UA12-4278 (BUS) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 373011BQQ704443 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

कार्यालय आदेश

28 फरवरी, 2019 ई0

पत्रांक 251/टी0आर0/पंजी0नि0/UK06CB-1156/2019–वाहन संख्या UK06CB-1156 (TRUCK), मॉडल 1998, चेसिस संख्या 349066CRQ201170 तथा इंजन नं0 697D22CRQ108432, कार्यालय में श्री अनिल नीरा गुलाटी पुत्र श्री रायप्रकाश गुलाटी, निवासी आदर्श कालौनी, रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने आवेदन–पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन भौतिक व तकनीकी रूप से खराब होने के कारण पूरी तरह नष्ट हो गया है, जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है। वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। सम्भागीय निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार वाहन मार्ग में चलने योग्य नहीं है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 28.02.2019 तक जमा है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, पूजा नयाल, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UK06CB-1156 (TRUCK) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 349066CRQ201170 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

कार्यालय आदेश

28 फरवरी, 2019 ई0

पत्रांक 252/टी0आर0/पंजी0नि0/UK06CB-2574/2019–वाहन संख्या UK06CB-2574 (TRUCK), मॉडल 1999, चेसिस संख्या 373011AQQ000286 तथा इंजन नं0 697D22AQQ100407, कार्यालय में श्री निन्दर सिंह पुत्र श्री जगजीत सिंह, निवासी जगतपुरा, वार्ड नं0–19, रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने आवेदन–पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन भौतिक व तकनीकी रूप से खराब होने के कारण पूरी तरह नष्ट हो गया है, जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है। वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। सम्भागीय निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार वाहन मार्ग में चलने योग्य नहीं है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 28.02.2019 तक जमा है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, पूजा नयाल, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UK06CB-2574 (TRUCK) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 373011AQQ000286 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

कार्यालय आदेश

28 फरवरी, 2019 ई0

पत्रांक 253/टी0आर0/पंजी0नि0/UP78T-4327/2019–वाहन संख्या UP78T-4327 (D/VAN), मॉडल 1999, चेसिस संख्या T5800334 तथा इंजन नं0 D02004182, कार्यालय में श्री हरिन्दर पाल पुत्र श्री विनोद कुमार, निवासी एस आर ए, वार्ड नं0–14, सुभाष कॉलोनी, रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने आवेदन–पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन भौतिक व तकनीकी रूप से खराब होने के कारण पूरी तरह नष्ट हो गया है, जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है। वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। सम्भागीय निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार वाहन मार्ग में चलने योग्य नहीं है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.03.2019 तक जमा है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, पूजा नयाल, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UP78T-4327 (D/VAN) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या T5800334 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

कार्यालय आदेश

22 फरवरी, 2019 ई0

पत्रांक 276/टी0आर0/पंजी0नि0/UK06TA-3252/2019–वाहन संख्या UK06TA-3252 (THREE WHEELER), मॉडल 2013, चेसिस संख्या MD2A26AZXDWH45708 तथा इंजन नं0 BAZWDH43081, कार्यालय में श्री इन्दर सिंह पुत्र श्री दिवान सिंह, निवासी 266, सेठीधरकोट खमिया ब्लॉक, रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने आवेदन–पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण, वाहन का संचालन न होने के कारण, वाहन पूरी तरह नष्ट हो गया है, जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है। वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। सम्भागीय निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार वाहन मार्ग में चलने योग्य नहीं है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 28.02.2019 तक जमा है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, पूजा नयाल, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UK06TA-3252 (THREE WHEELER) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या MD2A26AZXDWH45708 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

कार्यालय आदेश

22 फरवरी, 2019 ई0

पत्रांक 282/टी0आर0/पंजी0नि0/UK06AP-3999/2019–वाहन संख्या UK06AP-3999 (MOTOR CAR), मॉडल 2017, चेसिस संख्या MAJAXXMRKAHB52248 तथा इंजन नं0 HB52248, कार्यालय में श्री संजीव बेदी पुत्र श्री लखविन्दर बेदी, निवासी यू–9, गोल मार्केट नियर गुरूद्वारा, रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने आवेदन–पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण पूरी तरह नष्ट हो गया है, जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है। वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। सम्भागीय निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार वाहन मार्ग में चलने योग्य नहीं है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर एक बारीय जमा है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, पूजा नयाल, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UK06AP-3999 (MOTOR CAR) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या MAJAXXMRKAHB52248 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

कार्यालय आदेश

22 फरवरी, 2019 ई0

पत्रांक 283/टी0आर0/पंजी0नि0/UK06AK-2825/2019–वाहन संख्या UK06AK-2825 (MOTOR CAR), मॉडल 2016, चेसिस संख्या MA3FJEB1S00925656 तथा इंजन नं0 2809266, कार्यालय में श्री अमित अग्रवाल पुत्र श्री विजेन्द्र कुमार, निवासी 478 गली नं0 10 सिंह कालोनी रूद्रपुर जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने आवेदन–पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण पूरी तरह नष्ट हो गया है, जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है। वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। सम्भागीय निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार वाहन मार्ग में चलने योग्य नहीं है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर एक बारीय जमा है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, पूजा नयाल, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UK06AK-2825 (MOTOR CAR) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या MA3FJEB1S00925656 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

कार्यालय आदेश

22 फरवरी, 2019 ई0

पत्रांक 284/टी0आर0/पंजी0नि0/UK06AJ-2252/2019–वाहन संख्या UK06AJ-2252 (MOTOR CAR), मॉडल 2015, चेसिस संख्या MAKDF153KFN124934 तथा इंजन नं0 L12B32542077, कार्यालय में श्री ललित मोहन पुत्र श्री उर्वादत्त, निवासी काण्डपाल भवन अपोजिट राजकीय अस्पाताल सितारगंज रोड़ खटीमा जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने आवेदन–पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण पूरी तरह नष्ट हो गया है, जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है। वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। सम्भागीय निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार वाहन मार्ग में चलने योग्य नहीं है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर एक बारीय जमा है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, पूजा नयाल, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UK06AJ-2252 (MOTOR CAR) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या MAKDF153KFN124934 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

कार्यालय आदेश

06 मार्च, 2019 ई0

पत्रांक 287/टी0आर0/पंजी0नि0/UK06AG-9449/2019–वाहन संख्या UK06AG-9449 (LMV CAR), मॉडल 2015, चेसिस संख्या MA3FJEB1S00822263 तथा इंजन नं0 D13A2677251, कार्यालय में श्री अखिलेख पुत्र श्री हरिवंश, निवासी मोरपाल वार्ड नं0 2 राजा कालोनी ट्रांजिट कैम्प रूद्रपुर जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने आवेदन–पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण पूरी तरह नष्ट हो गया है, जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है। वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। सम्भागीय निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार वाहन मार्ग में चलने योग्य नहीं है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर एक बारीय जमा है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, पूजा नयाल, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UK06AG-9449 (LMV CAR) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या MA3FJEB1S00822263 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

कार्यालय आदेश

06 मार्च, 2019 ई0

पत्रांक 288/टी0आर0/पंजी0नि0/UK06AL-8117/2019–वाहन संख्या UK06AL-8117 (LMV CAR), मॉडल 2016, चेसिस संख्या MA3NYFB1SGL176211 तथा इंजन नं0 D13A5354175, कार्यालय में श्री गुरविन्दर सिंह पुत्र श्री रंजीत सिंह, निवासी बखपुर किच्छा जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने आवेदन–पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण पूरी तरह नष्ट हो गया है, जो मार्ग में संचालित करने योग्य नहीं है। वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। सम्भागीय निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार वाहन मार्ग में चलने योग्य नहीं है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर एक बारीय जमा है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, पूजा नयाल, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UK06AL-8117 (LMV CAR) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या MA3NYFB1SGL176211 तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

पूजा नयाल,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
रूद्रपुर ऊधमसिंह नगर।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर (चम्पावत)

आदेश

23 जनवरी, 2019 ई0

पत्रांक 1274/पंजीयन निरस्त/2018–19–वाहन संख्या UA032083 (MAXI CAB), मॉडल 2003, चैसिस 32L20606 इंजन नं0 AB34290971, इस कार्यालय अभिलेखानुसार श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री खड़क चन्द्र, मकान नं0 12 बिचई टनकपुर जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 22–12–2018 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) के आख्यानुसार वाहन का मूल चैसिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं अशीत कुमार झा, प्रभारी सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 23–01–2019 को वाहन संख्या UA032083 (MAXI CAB), मॉडल 2003 चैसिस 32L20606 इंजन नं0 AB34290971 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

30 जनवरी, 2019 ई0

पत्रांक 1300/पंजीयन निरस्त/2018–19–वाहन संख्या UA03TA1097 (MOTOR CAB), मॉडल 2016, चेसिस MA3EUA61S00905467, इंजन नं0 F8DN5668304, इस कार्यालय अभिलेखानुसार श्री नवीन पाण्डेय पुत्र श्री राम दत्त पाण्डेय, निवासी ग्राम ढोरजा गुरेली, पोस्ट–ढोरजा, तहसील–चम्पावत, जिला–चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 10–01–2019 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) के आख्यानुसार वाहन का मूल चेसिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं अशीत कुमार झा, प्रभारी, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 30–01–2019 को वाहन संख्या UA03TA1097 (MOTOR CAB), मॉडल 2016, चेसिस MA3EUA61S00905467, इंजन नं0 F8DN5668304 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

अशीत कुमार झा,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रभारी),
टनकपुर (चम्पावत)।

आदेश

22 फरवरी, 2019 ई0

पत्रांक 1351/पंजीयन निरस्त/2018–19–वाहन संख्या UA04A7756 (MAXI CAB), मॉडल 2003, चेसिस 32L20518, इंजन नं0 AB34L90925, इस कार्यालय अभिलेखानुसार श्री लियाकत हुसैन पुत्र स्व0 श्री शखावत हुसैन, निवासी मकान नं0 72 सिमेंण्ट रोड, वार्ड नं0–8 टनकपुर जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 17–01–2019 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया हैं। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) के आख्यानुसार वाहन का मूल चेसिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं रश्मि भट्ट, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 22–02–2019 को वाहन संख्या UA04A7756 (MAXI CAB), मॉडल 2003, चेसिस 32L20518, इंजन नं0 AB34L90925 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

रश्मि भट्ट,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
टनकपुर (चम्पावत)।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 12 हिन्दी गजट/125–भाग 1–क–2019 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 23 मार्च 2019 ई0 (चैत्र 02, 1941 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

नगर पालिका परिषद् चमोली, गोपेश्वर

सार्वजनिक सूचना

24 दिसम्बर, 2018 ई0

संख्या 938/उपनियम/2018–19–नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298(2)(च) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका परिषद् चमोली, गोपेश्वर द्वारा निर्मित व्यवसायिक/आवासीय भवन/बरात घरों को किराये पर दिये जाने हेतु उपविधि/उपनियम बनाई जाती है :–

"उपनियम"

1. यह उपविधि नगर पालिका परिषद् चमोली–गोपेश्वर द्वारा निर्मित व्यवसायिक/आवासीय भवन सम्पत्ति उपविधि 2018 कहलायेगी।
2. यह उपविधि नगर पालिका परिषद् चमोली–गोपेश्वर के समस्त क्षेत्र में प्रभावी होगी।
3. यह उपविधि सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशन की तिथि से प्रभागी होगी।

I. **"नगर पालिका परिषद्"** से तात्पर्य नगर पालिका परिषद् चमोली–गोपेश्वर से है।

II. **"अधिशासी अधिकारी"** से तात्पर्य नगर पालिका परिषद् चमोली–गोपेश्वर में शासन से नियुक्त अधिशासी अधिकारी से है।

III. **"अध्यक्ष"** से तात्पर्य नगर पालिका परिषद् चमोली गोपेश्वर में निर्वाचित अध्यक्ष से है।

IV. **"प्रशासक"** से तात्पर्य पालिका बोर्ड भंग रहने की अवधि में शासन से नियुक्त प्रसाशक से है।

V. **"कर निरीक्षक"** से तात्पर्य नगर पालिका परिषद् चमोली–गोपेश्वर में कार्यरत कर निरीक्षक से है।

4– नगर पालिका परिषद् चमोली–गोपेश्वर अपनी नीजि आय के स्त्रोत को बढाने हेतु अपनी सीमा में विभिन्न प्रकार के भवनों सम्पत्तियों जैसे व्यवसायिक भवन/आवसीय भवन/बरातघरों आदि भवनों का निर्माण करती है। जिसके आवंटन के लिए निम्न प्रकार नियम निर्धारित किये:–

1. व्यवसायिक भवन जिसमे दुकानें व बरातघर व इसी प्रकार के अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान निर्मित हो /सम्मिलित हो का निर्माण किया गया हो को आवंटन करने के लिए नियम–

I. निर्मित दुकान की लम्बाई–चौडाई एवं किराया प्रचलित दर प्रति वर्गफुट जो नगर पालिका परिषद द्वारा निर्धारित किया गया हो अधिप्राप्ति नियमावली –2016 संशाधित के अन्तर्गत प्रदर्शित कर सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित की जायेगी ।

II. दुकान मात्र 5 वर्षों के लिए ही आवंटित की जायेगी तथा जिस व्यक्ति के नाम दुकान आवंटित होगी सुसंगत नियमों के तहत स्टाम्प लगाकर अंनुबंध किया जायेगा।

III. जिस व्यक्ति के नाम दुकान आवंटित की गई हो वह 5 वर्ष बाद पुनः दुकान रखना चाहता है तो तत्कालीन बोर्ड द्वारा निर्धारित किराये वृद्धि पर जो कि 20 प्रतिशत कम न हो वृद्धि दर पर दी जा सकती है।

IV. दुकानों का आवंटन निम्न प्रक्रियाओ से होगा:–

1.नीलामी–बन्द लिफाफे बोली से पालिका द्वारा निर्धारित बोली से उच्चतम बोली पर ।बोली की धनराशि संबंधित सम्पत्ति के निर्माण लागत का 40 प्रतिशत से कम नही होगा।नीलामी की धनराशि न तो वापस होगी और न ही किराये में समायोजित की जायेगी।सम्पत्ति आवंटन तिथि से किराया लागू हो जायेगा

2.प्रथम ओआ प्रथम पाओ–नगर पालिका परिषद का गठन अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रो को सम्मिलित करते हुए हुआ है में एंव जहा पर बाजारी क्षेत्र का माहोल नही है वाले स्थानों एंव नीलामी रीति के अनुसार दुकान आवंटन न होने पर मासिक किराया पर सम्पत्ति को प्रथम आओ प्रथम पाओ की रीति अपनाई जायेगी।किन्तु ऐसी सम्पत्ति के बारे में स्थान विशेष पर बोर्ड प्रस्ताव अवश्य होगा।

V. दुकान आवंटन में आरक्षण का प्रावधान अवश्य रखा जायेगा।

VI. आवेदक नगर पालिका परिषद् चमोली–गोपेश्वर क्षेत्रान्तर्गत का ही निवासी होना चाहिए।

VII. दुकान आवंटन हेतु जमानत धनराशि कम से कम 6 माह के किराये के बराबर रखह जायेगी । जिसे किराया जमा न करने व अन्य प्रकार से नियमो का उल्लघन करनें पर लब्त करने का अधिकार नगर पालिका परिषद को होगा।

2—किराये पर दिये जाने वाली आवासीय भवन/कक्षो के लिये निम्न प्रकर रीति अपनाई जायेगी

I.आवासीय भवन सबसे पहले नगर पालिका परिषद् के कर्मचारियों को विभागीय प्रक्रिया के अनुसार आवंटित की जायेगी।

II. यदि किराये पर उठाने हेतु भवन सम्पत्ति शेष रहती है तो किये गये आवेदन पर बोर्ड द्वारा एक समिति गठित कर उसकी सहमति पर भवन के कक्ष मात्र 1 वर्ष के लिए तत्समय प्रचलित प्रति वर्ग फुट की दर पर किराये पर दिया जा सकेगा। 1 वर्ष बाद यदि पालिका उस सम्पति को किराये पर बनाये रखना चाहेगी तो प्रति वर्ष किरारा वृद्धि दर पर दे सकती है।

5— किराये पर उठायी गई सभी प्रकार की सम्पति के किराये की वसूली प्रत्येक माह होनी चाहिए। यदि यह वसूली नियमित नहीं होती है या छः माह तक किराया बकाया रहने पर सम्बन्धित सम्पत्ति को सीज करने का अधिकार नगर पालिका परिषद् चमोली—गोपेश्वर के पास होगा तथा कर निरीक्षक स्तर के कर्मचारी द्वारा सम्पत्ति को सीज करने का अधिकर होगा।

6— जिस व्यक्ति के नाम दुकान/आवासीय कक्ष/बरातघर आवंटित किया जाता है और वह स्यंम न चलाकर तीसरे पक्ष/व्यक्ति को किराये पर देता है तो पालिका को अधिकार होगा कि उस सम्पत्ति को सीजकर उसकी जमानत भी जब्त कर सम्पत्ति उसके नाम से हटा लें तथा उपविधि की शर्त संख्या—4(1) में शीथलता देते हुए निर्धारित किराये पर दे सकती है।

7— नगर पालिका परिषद द्वारा समय—समय पर बोर्ड प्रस्ताव में पारित व्यवस्था से अलग—अलग अवधि काल के लिये सभी प्रकार की भवन सम्पत्तियों को 1से 10 वर्ष तक के लिये किराये पर दी गई है जिस पर विभिन्न स्तरों पर आपत्तियां हैं । इस उपविधि के लागू होने की तिथि से ऐसी सभी व्यसायिक सम्पत्तियों की किराये की अवधि 5 वर्ष तथा आवासीय भवन सम्पत्ति की 1एक वर्ष होगी।अर्थात जो व्यवसायिक सम्पत्ति 5वर्ष से कम समय के लिये किराये पर दी गई है उसकी किराये की अवधि 5वर्ष तक बढा दी जायेगी तथा जिस व्यवसाकिय भवन सम्प्रत्ति को 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिये दी गई को भी कम करते हुए 5वर्ष तक का ही उसका अनुबन्ध माना जायेगा। इस प्रकार नगर पालिका परिषद की सभी प्रकार की सम्पत्तियों एक सूत्र में आजायेगी तथा अलग—अलग समय पर किये गये सभी प्रस्ताव निरस्त हो जायेगें।

7— शासकीय विभागों/सामाजिक गतिविधि में काम करने वाली सस्थाओं को मात्र किराये पर भवन सम्पत्ति को आवटन का अधिकार अधिशासी अधिकारी की संस्तुति पर अध्यक्ष को होगा।

8— नगर पालिका परिषद की कोई भी भवन सम्पत्ति को निःशुल्क नही दी जायेगी।

शास्ति

इस उपविधि के किसी भी भाग का उल्लघन करने पर नगर पालिका परिषद् अधिनियम 1916 की धारा—299 (1) के अन्तर्गत दण्डनीय होगा जो रू 1000.00 तक होगा साथ ही उल्लघन करने वाले संबंधित पदाधिकारी के बिरूद्व अर्थदण्ड के साथ अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जा सकेगी।

ह0/— (अस्पष्ट)

अधिशासी अधिकारी,

नगर पालिका परिषद्, चमोली, गोपेश्वर।

ह0/— (अस्पष्ट)

प्रशासक,

नगर पालिका परिषद्, चमोली, गोपेश्वर।

कार्यालय नगर पंचायत, गैरसैंण (चमोली)

भवन कर उपविधि, 2018

20 अगस्त, 2018 ई0

पत्रांक 237/भ0क0/उप0/2018–19/न0पं0गै0–

1– **संक्षिप्त नाम प्रसार और प्रारम्भ :–**

(क) यह उपविधि नगर पंचायत गैरसैण जनपद – चमोली (उत्तराखण्ड) भवन कर उपविधि –2018 कहलायेगी।

(ख) यह उपविधि नगर पंचायत गैरसैण जनपद – चमोली (उत्तराखण्ड) की सीमा में प्रवृत्त होगी।

(ग) यह उपविधि नगर पंचायत गैरसैण जनपद चमोली (उत्तराखण्ड) द्वारा प्रवृत्त होगी।

2– परिभाषाऐं :–

किसी विषय या प्रसंग से से कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में :–

(क) नगर पंचायत का तात्पर्य नगर पंचायत गैरसैण से है।

(ख) सीमा का तात्पर्य नगर पंचायत गैरसैण की सीमा से है।

(ग) अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत गैरसैण से है।

(घ) अध्यक्ष का तात्पर्य नगर पंचायत गैरसैण के निर्वाचित अध्यक्ष /सदस्य अथवा प्रशासक से है।

(ड) बोर्ड का तात्पर्य नगर पंचायत गैरसैण के निर्वाचित अध्यक्ष/सदस्य अथवा प्रशासक से है ।

(च) अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम –1916 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) से हैं

(छ) वार्षिक मूल्यांकन का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम –1916 की धारा –140 व धारा –141 के अन्तर्गत वार्षिक मूल्य से है।

(ज) भवन कर का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम –1916 की धारा – 128 के अन्तर्गत भवनो या भूमि या दोनो के वार्षिक मूल्य पर कर से है।

(झ) समिति का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा –104 के अन्तर्गत गठित समिति से है।

(प) भवन का तात्पर्य नगर पंचायत गैरसैण की सीमान्तर्गत निर्मित भवन से है।

(फ) स्वामी का तात्पर्य भवन के स्वामी से है।

(ब) अध्यासी का तात्पर्य नगर पंचायत गैरसैण की सीमान्तर्गत निर्मित भवन में निवास कर रहे व्यक्ति से है।

3--**वार्षिक मूल्यांकन** :– नगर पंचायत सीमान्तर्गत स्थित निर्मित भवन पर भवनकर निर्धारण हेतु नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा –141 (1)के अन्तर्गत कर निर्धारण के प्रयोजन के लिए नगर पंचायत द्वारा समय –समय पर पारिश्रमिक सहित या रहित किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को चाहे सदस्य हों या न हो अथवा संस्था / एजेन्सी ऐसे प्रयोजन के लिए किसी सम्बद्व सम्पत्ति का निरीक्षण कर सकते है। भवन कर निर्धारण है निम्नानुसार वार्षिक मूल्याकन किया जायेगा।

(क) रेलवे स्टेशनो कालेजो स्कूलो होटलो कारखानो वाणिज्यक भवनो और अन्य अनावासीय भवनों की दशा में भवन व निर्माण कि अनुमानित लागत लो0नि0वि0 की प्रचलित सिडयूल रेट और उससे अनुलगन भूमि की अनुमानित मूल्य तत्समय प्रचलित सर्किल रेट को जोडकर निकाली गयी धनराशि का पॉच प्रतिशत (5%) से अनाधिक पर वार्षिक मूल्यांकन का आंकलन किया जायेगा

(ख) खण्ड (क) के उपबन्धों के अन्तर्गत न आने वाले किसी भवन या भूमि की दशा में यथा स्थिति भवन कि दशा में प्रतिवर्ग फुट कारपेट क्षेत्रफल पर लागू न्यूनतम मासिक किराया भवन के कारपेट क्षेत्रफल या भूमि के क्षेत्रफल से गुणा किये जाने पर आए 12 गुना मूल्य से है और इस प्रयोजन के लिए प्रतिवर्ग फुट मासिक किराया दर पर इस प्रकार होगी जैसे कि नगर पंचायत की अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रत्येक दो वर्ष में एक बार भवन की अवस्थिति भवन निर्माण की प्रकृति भारतीय स्टाम्प अधिनियम –1899 के प्रयोजन के लिए कलैक्टर द्वारा नियम सर्किल दर के आधार पर नियत किया गया जाये और ऐसे भवन के लिए क्षेत्रफल में चालू न्यूनतम दर और अन्य कारक इस प्रकार होगें जैसे निहित किया जाये।

(ग) खण्ड (क) (ख) के अन्तर्गत न आने वाले किसी भवन या भूमि की दशा में यथास्थिति ऐसे आवासीय एवं अनावासीय (दुकानार्थ) जो किराये पर उठागये गये हो उनका वार्षिक मूल्योंकन शहर की प्रचलित बाजार दर अथवा उस क्षेत्र के लिए कलैक्टर द्वारा तत्सयम किराये हेतु प्रचलित सर्किल रेट से जो भी अधिकतम हो के अनुसार किराये के भवन के प्रतिवर्ग फुट या मीटर मासिक किराया दर पर निर्धारण करना होगा और मासिक किराये को 12 गुना पर वार्षिक मूल्याकन पर निर्धारण हेतु किया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है, कि जहॉ नगर पंचायत गैरसैण की राय में असाधारण परिस्थितियों के कारण किसी भवन का वार्षिक मूल्य यदि उपर्युक्त निधि से गणना की गयी हो अत्यधिक हो वहां नगर पंचायत किसी भी कम धनराशि पर जो उसे समयापूर्ण प्रतीत हो वार्षिक मूल्य नियत कर सकती है।

1– वार्षिक मूल्य की गणना के प्रयोजन के लिए कारपेट क्षेत्र की गणना निम्नलिखित रूप से की जायेंगी।

(i) कक्ष – आन्तरिक आयाम की पूर्ण माप

(ii) आच्छादित बरामदा – आन्तरिक आयाम की पूर्ण माप

(iii) बालकोनी गलियारा रसोई घर और भण्डार गृह – आन्तरिक आयाम की 50 प्रतिशत माप

(iv) गैराज – आन्तरिक आयाम की चौथाई माप

(v) गैराज – आन्तरिक आयात की चौथाई माप

(vi) स्नानागार शौचालय द्वारमण्डल और जीना से आच्छादित क्षेत्रफल कारपेट क्षेत्रफल का अंग नही होगा।

2– उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम –1972 के प्रयोजन के लिए किसी भवन का मानक किराया या युक्तियुक्त वार्षिक किराये को भवन के वार्षिक गणना करते समय हिसाब में नही लिया जायेगा।

3– भवन कर निर्धारित हेतु वार्षिक मूल्याकन एवं सर्वेक्षण निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक भवन का मौके पर निरीक्षण करने के उपरान्त यथा स्थिति के अनुसार किया जायेगा।

4– **भवन के वार्षिक मूल्यांकन पर कर** – भवन के वार्षिक मूल्यांकनपर 05 प्रतिशत भवन पर कर लिया जायेगा, परन्तु निम्नलिखित भवन अथवा उसके अन्य भाग निम्नानुसार कर से मुक्त रहेगे।

(क) मन्दिर गुरूद्वारा मस्जिद अथवा दूसरे धार्मिक संस्थाए जो सार्वजनिक तथा रजिस्टर्ड ट्रस्ट या संस्था के अधीन हो परन्तु जो स्थान अथवा स्थानो के भाग रहने अथवा किराये पर या अन्य प्रकार से आय अर्जित की जाती है तों उनके अन्य प्रकार से आय अर्जित की जाती है तो उन पर कर की छूट का नियम लागू नही होगे।

(ख) सरकारी अनाथालय स्कूल छात्रावास चिकित्सालय धर्मशालाएँ तथा इस प्रकार से अन्य भवन जो इस प्रकार की दान की संस्थाओं की सम्पत्तियों और उन्ही संस्था द्वारा ऐसे कार्य करती हों।

(ग) नगर पंचायत गैरसैण की समस्त परिसम्पत्तियॉ

5– **कर निर्धारण सूचियों का प्रकाशन** :– भवन के वार्षिक मूल्यांकन पर भवन कर निर्धारण हेतु नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 141 के अधीन तैयार की गयी सूचियों का प्रकाशन जनसमान्य के अवलोकनार्थ एवं निरीक्षण के लिए नगर पंचायत गैरसैण कार्यालय के अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रदर्शित की जायेगी तथा समाचार पत्र में इस आशय की सूचना प्रकाशित करते हुये अपील करनी होगी कि पंचवर्षीय गृहकर का निर्धारण किया जा चुका है जिस किसी व्यक्ति अथवा भवन स्वामी या अध्यासी को कर निर्धारण सूची का अवलोकन एवं निरीक्षण कर सकते है, तथा प्रस्तावित कर निर्धारण की सूचना सम्बन्धित प्रत्येक भवन स्वामी को 30 दिन के अन्दर आपत्ति प्रस्तुत करते हेतु दी जानी आवश्यक होगी और कर निर्धारण सूचियों में प्राप्त आपत्तियों को मोहल्ले / वार्ड वार क्रम संख्या देते हुए आपत्ति एवं निस्तारण पंजिका में अंकित किया जायेगा।

6– **आपत्तियों का निस्तारण** :– भवन के वार्षिक मूल्यांकन अथवा कर निर्धारण पर प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई एवं निस्तारण हेतु नगर पालिका अधिनियम –1916 **की धारा –104** के अन्तर्गत गठित समिति अथवा समिति गठित न होने के फलस्वरूप अधिशासी अधिकारी द्वारा निम्न प्रकार से किया जायेगा।

(क) प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई हेतु तिथि एवं समय भवन कर एसिसमेन्ट बिल के 30 दिन के अंदर लिखित सूचना प्रेषित करनी होगी।

(ख) आपत्तियों के निस्तारण की स्थिति एवं निर्णय सम्बन्धित पत्रावली अथवा आपत्ति निस्तारण पंजिका में जस्टीफिकेशन के साथ दर्ज करनी होगी।

(ग)शासनादेश संख्या 2064/नौ–9–97–79 ज/97 दिनांक 28–06–1997 द्वारा वार्षिक मूल्यांकन एवं कर निर्धारण पर प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई और निस्तारण दिये गये निर्देशानुसार दी जायेगी।

7– **कर निर्धारण सूचियों का अभीप्रमाणीकरण और अभिरक्षा** :–

(क) अधिशासी अधिकारी या इस निमित प्राधिकृत अधिकारी यथास्थिति नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत उसके किसी भाग के क्षेत्र वार किराया दरों और निर्धारण सूची को और हस्ताक्षर से अभिप्रमाणित करेगा।

(ख) इस प्रकार से अभिप्रमाणित सूची को नगर पंचायत गैरसैण कार्यालय में जमा किया जायेगा

(ग) जैसै सम्पूर्ण नगर क्षेत्र की सूची इस प्रकार से जमा कर दी जाये वैसे ही निरीक्षण हेतु खुले होने के लिए सार्वजनिक सूचना द्वारा घोषणा की जायेगी

(घ) कर निर्धारण सूचियों में उपरोक्तानुसार सम्पूर्ण कार्यवाही होने के उपरान्त भवन कर मांग एवं वसूली पंजिका में अन्तिम रूप से सूची दर्ज करते हुए नगर पालिका अधिनियम –1916 की धारा –166 के अन्तर्गत दावों की वसूली हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही शासन द्वारा समय – समय पर दिये गये निर्देशानुसार करनी होगी।

8– नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत कोई भी व्यक्ति कार्यालय दिवस पर प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक अपने भवनो की एसेसमेन्ट सूची पर अपना नाम दर्ज कर सकता है जो और जिस समय तक आवेदन –पत्र को अस्वीकार करने का काफी कारण न हो उसका नाम दर्ज कर लिया जायेगा तथा अस्वीकृति का कारण लिख दिया जायेगा।

9– जब इस बात में शक हो कि भवन पर कि जिसका नाम स्वामी के रूप में दर्ज किया जाये तो बोर्ड या समिति या वह अधिकारी दिया हो यह तय करेगा कि किसका नाम स्वामी के तौर पर दर्ज होना चाहिए। इसका निश्चय उस समय तक लागू रहेगा जब तक सशक्त न्यायालय उसको रदद न कर दे।

10– (1) अगर किसी ऐसे भवन के स्वामी होने का अधिकार जिस पर यह लागू हो हस्तान्तरित किया जाये तो अधिकार लेने की तिथि से और लिखी गयी हो तो

दस्तावेज लिखे जाने या रजिस्ट्री होने या हस्तान्तिरित होने की तिथि से तीन माह के अन्दर हस्तान्तरित होने की सूचना अध्यक्ष अथवा अधिशासी अधिकारी को देना होगा।

(2) किसी ऐसे भवन का स्वामी जिस पर कर लागू है की मृत्यू के पश्चात उसका उत्तराधिकारी या जो जायदात का स्वामी हो इसी प्रकार स्वामी होने के तीन माह के अन्दर निकाय कार्यालय में लिखित सूचना देगा जिसका कि आपत्ती हेतु दैनिक समाचार पत्र में इस कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जायेगा। प्रकाशित सूचना का बिल भुगतान सम्बन्धित भवन स्वामी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

11– (1)सूचना में जिसका विवरण पहले दिया गया है उक्त नियम में उल्लखित सभी विवरण सफाई से और ठीक तौर दिये जायेगें।

12– उत्तर प्रदेश नगर पालिका एक्ट 1916 की धारा 151(2) के अधीन कर की थोडी माफी या ऐसी माफी के लिए भवन का स्वामी जिसमें कई किरायेदार रहते हो भवन पर कर लागू करने के समय बोर्ड से प्रार्थना कर सकता है कि तमाम भवन का कर लगने के अलावा हर एक भाग का वार्षिक मूल्य अलग – अलग एक नोट में दर्ज किया जाये और जब कोई भाग जिसका वार्षिक मूल्य अलग दर्ज हो गया है या किराये के नब्बे दिन या इससे अधिक समय के लिए किसी साल में खाली रहा हो तो कुल भवन के कर का वह हिस्सा माफ किया जाये जो कि एक्ट की धारा 151(1) के अधीन वापस या माफ किया जाता है।

शास्ति

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा –299 (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके नगर पंचायत गैरसैण एतदद्वारा निद्रेश देती है कि उपरोक्त उपविधि उल्लघन करने के लिए अर्थदण्ड रू 1000.00 (एक हजार) तक हो सकता है और यदि उल्लघन निरन्तर जारी रहा हो तो प्रथम दोषसिद्वी के दिनांक से ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिनके बारे में यह सिद्व हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है अतिरिक्त जुर्माना किया जा सकता है जो रू0 **100.00 (एक सो)** प्रतिदिन तक हो सकता है।

गुरूदीप आर्य,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत गैरसैंण,
जिला चमोली।

गंगा सिंह पंवार,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत गैरसैंण,
जिला चमोली।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 12 हिन्दी गजट/125–भाग 8–2019 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।